

पत्रांक 10/न4-12/2004मा10 77
बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग।

पुष्क

सेवा में,

श्री हेमचन्द्र झा
सरकार के संयुक्त सचिव।

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंड्री एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेन्टर, पोत बिहार
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 18 मार्च 2005

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंड्री एजुकेशन,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गति करने के
संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए
कहना है कि दिनांक 7-12-2004 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निर्गति किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए
निर्णय के आलोक में निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली
से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गति करने का निर्णय
लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के समकक्ष वेतनादि का भुगतान विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर
कर्मियों को करना होगा।

1. पी०सी० हाई स्कूल, परसा, समस्तीपुर
2. डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, दाउदनगर, औरंगाबाद
3. हेरो इंग्लिश स्कूल, विद्यापति चौक, कटहुलवाड़ी, दरभंगा
4. अररिया पब्लिक स्कूल, अररिया
5. विजेन्द्र पब्लिक स्कूल, पूर्णिया
6. विलियम्स पब्लिक स्कूल, पुरानी बिजली कॉलोनी, जहानाबाद
7. डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, मानपुर, कडिया, गया
8. जयहिन्द पब्लिक स्कूल, विज्ञाननगर, गया डी०भी रोड, बोधगया
9. टी० रजा हाई स्कूल, वी०एम० दास रोड, पटना
10. ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज चौकी, पटना
11. एस०ए०डी०एन० कॉन्वेंट स्कूल, चादनी चौक, शोउपुरा
12. गैट माइकेल्स एकेडमी, ईम्स इंग्लिश मीडियम, कमलनाथनगर, वैतिया
13. बुद्ध पब्लिक स्कूल 83, अशोकनगर, गया
14. लीड्स एसियन स्कूल एसियन एकेडमी नहर चौक, बैली रोड, पटना

विशवासभाजन,

हेमचन्द्र झा
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृपया

सी०बी०एस०ई०

ज्ञापक

पटना, दिनांक मार्च 2005

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2- शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा ।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

क। विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्सेलर कमिषि को राज्य सरकार के विद्यालय के कमिषियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक विलम्ब किया जा रहा है हो ।

ख। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए सम्पत्ति कागजात एवं अभिलेख जाली पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर,

ग। विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद के लिए राशि की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो,

घ। विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो जिसमें समाज में विभिन्न सोसायटी के बीच कटुता पैदा हो;

च। सी0वी0एस0ई0 मापर्टड के अनुरूप भवनों में सी0वी0एस0ई0 मापर्टड के अनुरूप विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापक

77

पटना, दिनांक

18/3/05

प्रतिलिपि सचिव, निदेशक, मा0वि0/निदेशक, प्रा0वि0/संयुक्त सचिव मानवसंसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापक

77

पटना, दिनांक

18 मार्च 2005

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, पु0 एवं मा0, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।